भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न 2327
मंगलवार, 10 दिसंबर, 2024/19 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तरार्थ

पीएसीएस की भूमिका

†2327. श्री राजू बिष्टः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय द्वारा विशेषकर कलिम्पोंग, उत्तरी दिनाजपुर और दार्जिलिंग जिलों में ग्रामीण जलापूर्ति संबंधी कार्यों के लिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) की भूमिका हेतु कोई कदम उठाए गए हैं;
(ख) क्या इस पहल के सफल कार्यान्वयन में राज्य की कोई भूमिका है, यदि हां, तो संबंधित राज्यों द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ग) पीएसीएस के लिए बजट आबंटन और उसके व्यय का ब्यौरा क्या है; और
(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण परिवार और आम लोग इस योजना से किस प्रकार लाभान्वित हो रहे हैं और यह पहल जल जीवन मिशन के साथ किस प्रकार सहयोग कर रही है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) और (ख): प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) को ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप्ड जल आपूर्ति योजनाओं के संचालन और रखरखाव (O&M) का कार्य करने के लिए पात्र बनाया गया है।

इस पहल का सफल कार्यान्वयन राज्य सरकारों के सहयोग पर निर्भर करता है। राज्यों को अपनी संचालन और रखरखाव (O&M) नीतियों में सहायक प्रावधान शामिल करने और ग्रामीण पाइप्ड जल आपूर्ति योजनाओं में भागीदारी के लिए उपयुक्त पैक्स की पहचान करना आवश्यक है।

पश्चिम बंगाल के मामले में, ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप लाइन द्वारा जलापूर्ति योजनाओं के संचालन और रखरखाव को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किसी पैक्स की पहचान नहीं की गई है। दिनांक 21 नवंबर, 2024 तक, 13 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा पंचायत/ग्राम स्तर पर संचालन और रखरखाव सेवाएं प्रदान करने के लिए कुल 1,227 पैक्स चिह्नित/ चयनित किए गए हैं, जिनका राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक** पर संलग्न है।

(ग): इस पहल में पैक्स के लिए बजट आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि, कार्यशील पैक्स के कंप्यूटरीकरण की परियोजना के तहत, भारत सरकार द्वारा कुल 2,516 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय को मंजूरी दी गई है, जिसमें देश में सभी कार्यशील पैक्स को एक कॉमन ईआरपी आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाना और उन्हें राज्य सहकारी बैंकों (StCB) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCB) के माध्यम से नाबार्ड से जोड़ना शामिल है।

(घ): दिनांक 11 जुलाई, 2023 को शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य पैक्स द्वारा संचालित O&M गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को बेहतर पाइप्ड जल आपूर्ति सेवाओं, कम परिचालन व्यवधानों और बेहतर जल की उपलब्धता से लाभान्वित करना है। यह प्रयास सतत और कुशल जल सेवा वितरण सुनिश्चित करके जल जीवन मिशन के पूरक हैं।

इसके अलावा, मध्य प्रदेश राज्य द्वारा जिला धार में एक पायलट परियोजना शुरू की गई है, जहां ग्राम पंचायत की ओर से कमीशन के आधार पर जल कर एकत्र करने के लिए एक बहुउद्देशीय पैक्स को प्राधिकृत किया गया है।

*****

अनुलग्नक

ग्रामीण पाइप लाइन द्वारा जलापूर्ति के तहत ओ एंड एम के लिए चिह्नित पैक्स - राज्य-वार स्थिति

क्रम.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	चिह्नित किए गए पैक्स की संख्या
1	असम	285
2	गुजरात	178
3	ओडिशा	163
4	झारखंड	145
5	पंजाब	118
6	मणिपुर	113
7	जम्मू और कश्मीर	100
8	छत्तीसगढ़	33
9	महाराष्ट्र	38
10	उत्तराखंड	36
11	मेघालय	16
12	मध्य प्रदेश	1
13	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1
कुल		**1,227**